न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–509/2026

शिवम सिंह पुत्र सुरजू सिंह
निवासी जगदीशपुर, थाना जाफराबाद, जिला जौनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–331/2025
धारा–137(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (Vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
थाना–बक्सा, जिला–जौनपुर।

दिनांक–07.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त शिवम सिंह की ओर से मु0अ0सं0 331/2025 अंतर्गत धारा 137(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (Vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना–बक्सा, जिला–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

2. जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में आवेदक को झूठा रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। बल्कि एक अन्य व्यक्ति आकाश चौहान को पीड़िता को भगा ले जाने की बात कही गयी है। आवेदक का नाम कथित पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में आया है, जिसमें पीड़िता द्वारा कहा गया है कि उसकी मां दिनांक 28.07.2025 को काम के लिए डांटी थी, वह स्वयं भण्डारी स्टेशन चली गयी, अभियुक्त मिला और उसकी मम्मी से मोबाईल फोन से बात कराया, परन्तु वह कही कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, इस पर वह शिवम के घर गयी। शिवम के मम्मी के साथ सोती थी। शिवम उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। इसी प्रकार का बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 भी दिया गया है। आवेदक दिनांक 08.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पीड़िता का न तो अपहरण किया गया है, और न ही अनुसूचित जाति का होने के कारण उसके साथ कोई अत्याचार ही किया गया है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। अभियुक्त जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा संतरा देवी ने थाने पर तहरीर इस आशय की दी कि उसकी लड़की/पीड़िता को दिनांक 29.07.2025 को रात्रि 2 बजे आकाश चौहान बहला–फुसलाकर कहीं लेकर भाग गया। लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष है। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर अभियुक्त आकाश चौहान के विरूद्ध थाने पर मु0अ0सं0 331/2025 अंतर्गत धारा 137(2) बी0एन0एस0 का मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (Vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.07 16:45:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. अभियोजन पक्ष को वादिनी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादिनी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादिनी मुकदमा अनुपस्थित है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना गया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आवेदक ने पीड़िता को बहला–फुसलाकर भगाया नहीं है। जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

7. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, का विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

8. पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। पत्रावली अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को बहला–फुसलाकर उसका विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किया जाना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के आधार पर प्रकाश में आया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि उसके पापा उसे एक दिन सावन में मारे थे, तो वह भण्डारी स्टेशन चली गयी थी। तब उसकी पहचान का शिवम अपने घर ले गया था, और अपने घर ले जाने से पहले घर वालों को बताया था तो भी उसके घर वाले तैयार नहीं हुए। उसे किसी ने भगाया फुसलाया नहीं था। पीड़िता ने अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने का कथन नहीं किया है। मामले की विवेचना समाप्त होकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। थाना आख्यानुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 08.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

9. प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त शिवम सिंह द्वारा मु0 50,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उसे मु0अ0सं0 331/2025, धारा–137(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (v क) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना–बक्सा, जिला–जौनपुर के प्रकरण में निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा नियत तिथियों पर स्वयं/जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षी/साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत के दौरान कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगा।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 6509